HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए स्कूल में चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए **आज दिनांक 23.05.2025** को **मा0 न्यायालय** द्वारा स्कूल में चोरी करने वाले **एक अभियुक्त** को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 19.01.2015 को अभियुक्त **विनोद पुत्र दीवान निवासी मौहल्ला उद्योग वाला कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़** द्वारा स्कूल में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर **मु0अ0सं0 23/2015 धारा 457, 380, 411 भादवि** पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 26.01.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 23.05.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे(जेडी) जेएम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा **02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से **श्री सुनील शर्मा (शासकीय अधिवक्ता)** व विवेचक **उप निरीक्षक श्री रमेश चन्द** एवं पैरोकार **है0का0 अश्वनी कुमार** व कोर्ट मोहर्रिर **है0का0 प्रदीप** का विशेष योगदान रहा।